RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-02
Issue-10
October-2017

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com

ग्रामीण भारत में चतुर्दिक विकास हेतु महिलाओं की शिक्षा की विभिन्न योजनाए

डॉ. डेजी कुमारी

वार्ड नं.–01, मधेपुरा, बिहार

भारत सरकार के द्वारा 1992 में संविधान में 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन करके अत्यन्त क्रांतिकारी कदम उठाये गये। जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में 'महिलाओं' को एक तिहाई आरक्षण दिया गया जिसके फलस्वरूप देश भर में करीब 30 लाख महिलाएँ आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तथा उनमें करीब 80 हजार महिलाएँ उन संस्थाओं की अध्यक्षा हैं। इन क्रांतिकारी कदमों के कारण महिलाओं में आत्म–विश्वास एवं सामूहिक चेतना का विकास हुआ है। यद्यपि कहीं–कहीं महिला प्रतिनिधियों के परिवार वाले यथा पति, ससुर या पुत्र उनके वाजिब हकों पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ हद तक कब्जा भी कर लिया है फिर भी कुछ वर्षों के अनुभवों के बाद उनमें परिपक्वता आ रही है। सम्भवतः यही कारण है कि आज लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण की माँग का आन्दोलन जार पकड़ रहा है। यें तो महिलाएँ पूरे देश की करीब आधी आबादी हैं और यदि उनके लिए कुल सीटों में से आधी सीटें आरक्षित कर दी जाएँ, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। फिर भी प्रथम चरण में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण बिल्कुल उचित होगा। महिलाओं का सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं आदि के जरिये प्राचीन काल से शोषण होता रहा है। आजकल राजनीतिक ही सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों और पहलुओं की दिशा तय करती है। अतः महिला–आरक्षण को एक राजनैतिक सवाल (सकारात्मक अर्थ में) के रूप में देखा जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद से अबतक की लोकसभाओं में 8 प्रतिशत ही महिला सदस्य रही हैं और वर्तमान लोक सभा के 543 निवार्चित सदस्यों में से मात्र 47 लोकसभा की सदस्या हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में महिलओं की सदस्यता 9 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ सकी है। राज्य की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व और ज्यादा चिन्ताजनक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 4 प्रतिशत महिला सदस्या हैं। यह अत्यन्त विरोधाभासी है कि एक ओर महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, किन्तु दूसरी ओर चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या घट रही है। यानी विभिन्न राजनैतिक दल महिलाओं को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनने के पक्ष में सच्चे हृदय से नहीं हैं। भारत जैसे विशालतम लोकतांत्रिक देश में अभी भी राजनैतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है।

टाज जब हम 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं, तो 'मानवाधिकारों पर सर्वाभौमिक घोषणा' (1948) तथा 'महिलाओं के विरूद्ध सर्वभेद्भाव– समापन समझौता' (सेडा) (1979) 3 सितम्बर 1981 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में मूलाधिकारों के होते हुए भी भारतीय महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है। उनक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक शोषण के कारण भारत में लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या) निरन्तर घट रही है, यानी यह 1901 में 972 से घटकर 2001 में 933 हो गया। वैश्वीकरण के प्रपंचों एवं आर्थिक सुधारों के बावजूद महिलाओं को संवैधानिक एवं विधि सम्मत अधिकार अभी तक सही मायने में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ शहरी, उच्च वर्ग एवं उच्च–मध्य वर्ग की महिलाओं की उन्नति का उदाहरण देकर आम महिलाओं की व्यथा को भुलाया नहीं जा सकता। महिलाओं की शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने के लिए बजटीय उपबन्ध बढ़ाया जाना आवश्यक है। उनके लिए अलग से विद्यालय उनके घरों के नजदीक स्थापित किये जाने चाहिए। उनके लिए शोचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। खान–पान एवं पोषाहार में उनके साथ भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए तथा भ्रूण–हत्या एवं बालिका शिशु–हत्या बन्द होनी चाहिए।

यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना 1986–87 में प्रारम्भ की गई थी। यह आठ पारम्परिक नियोजन क्षेत्रों को कौशल बढ़ाने तथा परियोजना के आधार पर नियोजन देने का प्रयास करती है– कृषि, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, खादी एवं कुटीर उद्योग, रेशम। यह योजना राज्यों के निगमों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, सहकारी समितियों तथा निबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं (तीन साल वाली) के द्वारा चलायी जाती है। कमाई बढ़ाने हेतु हुनर वृद्धि के साथ–साथ प्रबन्धन, उद्यमिता तथा बाजार के कौशलों का भी पशिक्षण के द्वारा विकास किया जाता है। इसके साथ–साथ समर्थन

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

सेवाएँ (Support Service) यथा वैधिक, जागरूकता, लैंगिक संवेदनीकरण, पोषाहार आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें 90% परियोजना लागत केन्द्र सरकार वहन करती है और शेष 10% कार्यान्वयन एजेन्सी वहन करती है। राज्य सरकार के विभागीय सचिव की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार प्रस्तावों को स्वीकृत करती है।

महिला मंडल

वर्ष 1961 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गई। इसमें कुल खर्च का 75: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है और शेष 75: सम्बन्धित संगठन द्वारा वहन किया जाता है। पूर्व के कल्याण विस्तार परियोजना केन्द्रों को निबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं को बोर्ड ने सौंप दिया। 2003–04 में 1.80 करोड़ रूपये महिला मंडल कार्यक्रम के लिए 184 ऐसे केन्द्रों को दिया गया जिससे 48535 महिलाएँ लाभान्वित हुई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के पूर्व की शिक्षा, महिलाओं के लिए हस्तशिल्प, मातृत्व सेवा, मनोरंजन सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराती है। इस प्रकार यह सीधे विकास की योजना न होकर कल्याण की योजना है।

इस प्रकार स्वाधार, महिला, राष्ट्रीय महिला कोष आदि ने भी महिलाओं के विकास में योगदान किया है। ये योजनाएँ स्वावलम्बन, स्वयंसिद्ध, स्वशक्ति एवं स्टेप की तरह उत्पादन न होकर सेवाप्रद एवं कल्याणकारी ज्यादा रहीं।

महिला समाख्या

महिला शिक्षा और उन्हें अधिकार देने के लिए शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अनेकों विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। महिला समाख्या, महिला समानता के लिए शिक्षा का कार्यक्रम डच सहायता से अप्रैल 1989 में आरम्भ किया गया। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसरण पर तैयार की गई। यह परियोजना महिलओं की अत्मछवि और आत्मविश्वास और उनके बारे में समाज के बोध के मुद्दों को संबोधित करते हुए आरम्भ की गई है। महिला समाख्य परियोजना में इस बात की पूर्वकल्पना की गई है कि शिक्षा महिला समानता में एक निर्णायक हस्तक्षेप कर सकती है। इस परियोजना का कुल समग्र उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है, जिनसे महिलाएँ अपनी दशा को बेहतर ढंग से समझ सकें, अधिकार न देने की दयनीय स्थिति से ऐसी स्थिति में जा सकें जिसे वे अपने–अपने जीवन को नियत कर सकें और अपने–अपने वातावरण को प्रभावित कर सकें तथा साथ–साथ अपने और अपने परिवार के लिए एक शैक्षिक अवसर भी पैदा कर सके जिससे कि विकास की प्रक्रिया को मदद मिल सकें। उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा परियोजना और बिहार की शिक्षा परियोजना में महिला समाख्या दल को महिला शिक्षा कार्य का अंश बनाया जा रहा है।

महिलाओं के शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम (सी. सी.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं एवं बालिकाओं के हुनर विकास पर विशेष बल दिया गया है, ताकि उन्हें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार और कार्य के अवसर प्राप्त हो सकें। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 1958 में शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इन कार्यक्रमों का उद्येश्य पढ़ाई छोड़ने वाले महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने में सहायता देना त्था उन्हें बीच में ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण देना है, जिनके उत्पादों को वे बाजार में बिक्री के लिए ला सकें। इसके अतिरिक्त बदलते हुए परिवेश के अनुसार व्यावसायिक आवश्कताओं को पूरा करने के लिए महिलाओं के हुनर में वृद्धि की जा सके। शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान राशि दी जाती है, ताकि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाएँ माध्यमिक/मिडिल स्तर तथा प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास कर सकें।

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

केन्द्रीय सामाज कल्याण बोर्ड घरों से दूर रह कर कार्य कर रही महिलाओं के आवास की व्यवस्था हेतु कामकाजी महिला होस्टल चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत मैट्रन, चौकीदार के वेतन, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं, किराया से सबसिडी के लिए अनुदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर अथवा नगर की श्रेणी के आधार पर स्वैच्छिक संगठन को एक वर्ष में एक एकक के लिए 40,000/– से 50,000/– रूपये का अनुदान दिया जाता है।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGL)

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की वर्तमान योजना के अधीन NPEGL प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित/पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन प्रखंडों में चलाया जा रहा है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के प्रखंडों में भी चलाया जा रहा है, जहाँ कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की है और जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले गए हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (EBB) केवल ऐसे विकास खंड़ों में लागू की गई है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसे विकास खंडों में कम महिला साक्षरता वाले तथा/अथवा स्कूल न जाने वाले अधिकतम बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले गए है। जिनसे इनके जीवन स्तर में सर्वतोमखी विकास देखने को मिलता है। इन्हें हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं–

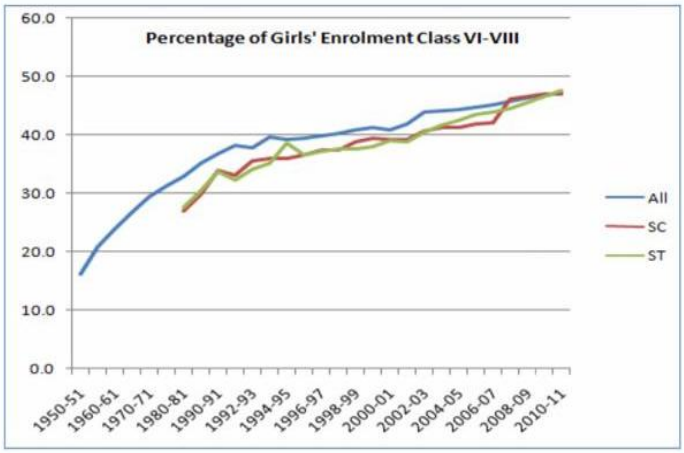

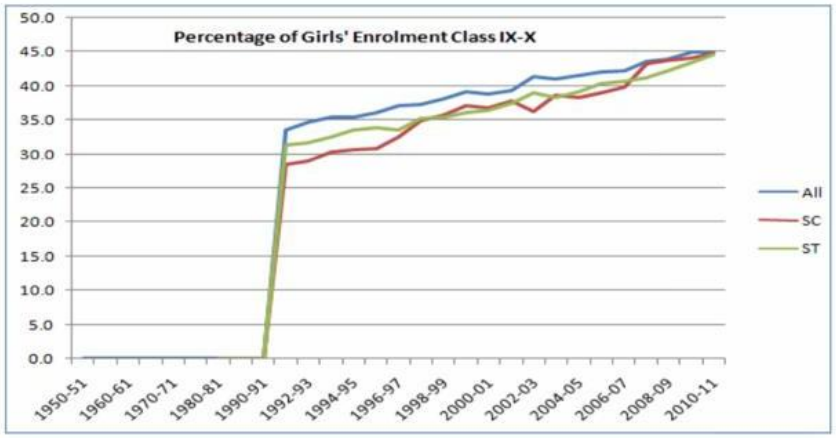

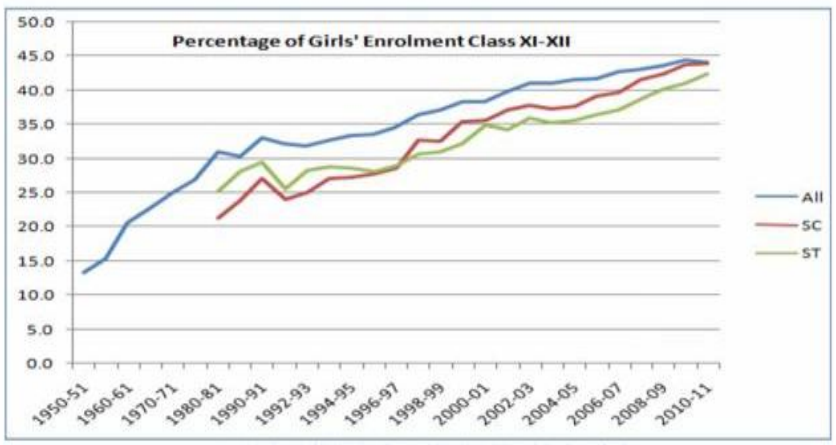

Source: Ministry of Human Resource Development

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत बोर्ड 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जरूरतमन्द महिलाओं को पारम्परिक एवं अपारम्परिक व्यवसाय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है जिन्हें इसका प्रर्याप्त अनुभव हो और जिनके पास बुनियादी सुविधाएँ हों। पाठ्यक्रम की अवधि प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कोर्स, उनके पाठ्यक्रम और अन्य जरूरतां पर निर्भर करती है। कोर्स के लिए व्यवस्था अलग–अलग होती है। एक बैच में 25 उम्मीदवार होते हैं। इनमें निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और कमजोर वर्गो विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पाठ्यक्रम की प्रकृति या स्वरूप पर निर्भर करती है। दिसम्बर 1997 से महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोराड योजना के तहत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान मंजूर करना प्रारम्भ किया। इस योजना के लिए धनराशि नॉर्वे सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद केन्द्रीय समाज कल्याण बार्ड के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को नोराड योजना के तहत विचार किया जाने लगा। वर्ष 2002–03 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (नोराड) का नाम परिवर्तित कर 'स्वावलम्बन' कर दिया। इस वर्ष के दौरान 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मंजूर किये गये जिनसे 1040 महिलाओं को लाभ पहुँचा।

जेण्डर बजट

राज्य में पहली बार लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था की शुरूआत को भी 'नारी सशक्तिकरण' की दिशा में सरकार की वास्तविक सोच और ठोस पहल के रूप में ही देखा जाना वाजिब होगा। बिहार में महिला और पुरूष के तुलनात्मक विकास–संकेतक सन्तोप्रद नहीं है। विकास–प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी समुचित रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अपने पहले 'जेण्डर बजट' में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणण अल्पसंख्यक कल्याण, संसाधन विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज तथा श्रम संसाधन, आगामी वर्षो में अन्य विभागों को भी लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत समाहित किया जायेगा। राज्य सरकार ने अपने पहले 'जेण्डर बजट' में शामिल योजनाओं की दो श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसी योजनाएँ हैं, जिनमें 100 प्रतिशत तक का प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिए है दूसरी श्रेणी में ऐसी योजनाएँ रखी गयी हैं, जिनमें महिलाओं के लिए कुल प्रावधानित राशि का कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन है। बिहार के प्रथम 'जेण्डर बजट' में, दस उपर्युक्त चिह्नित विभागों में महिला कल्याण की योजनाओं के लिए कुल 2247.81 करोड़ रूपये प्रावधानित हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नारी शक्ति योजना, कन्या सुरक्षा योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि ऐसी योजनाएँ हैं, जिनमें 100 प्रतिशत तक का बजटीय प्रावधान, महिलाओं के लिए वर्णांकित है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों, सर्वशिक्षा अभियान आदि प्रक्षेत्रों की कई योजनाओं में न्यूनतम 30 प्रतिशत तक की राशि महिलाओं के लिए वर्णांकित हैं।

संदर्भ

1. गिदुमल दयारामः द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इण्डिया
2. श्रीमति सुधा अवस्थीः महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार
3. डॉ0 एम0 पी0 गुप्ताः भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ
4. पी0 डी0 पाठकः भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ
5. भारत सरकार, जनगणनाः भारत की जनगणना रिपोर्ट 2001–2011 मंत्रालय
6. बुद्ध मिशन ऑफ इंडियाः आईडियल, रिसर्च रिभ्यू, टवसण्.18ए द्वारा प्रकाशित 2008.
7- www.niti.gov.in Ministry of Human Resource Development

© RRIJM 2015, All Rights Reserved